18/3/26

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा०पत्र (दिनांक 07/11/24) हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रा०पत्र दिनांक 07/11/24 अप्रार्थी सं. 03 द्वारा पेश किया गया था - हम पक्षकारों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रा०पत्र 25/5 राज. खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। [illegible] से [illegible] हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2024/292

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:01 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

जगदीश बनाम बाधु देवी आदि

किस्म मुकदमाः— 251(क) राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः — 120 सन् 2024

GCMS:- 2024/292

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/26		

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जगदीश पुत्र सुरजाराम द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 251क, 209 आरटीए 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से रोही चक गोदारान तहसील सूरतगढ़ के खाता सख्या 16/14 के खसरा नम्बर 95 में 3.403 हैक्टेयर, 96 में 0.835 हैक्टेयर, 97 में 1.581 हैक्टेयर कुल 5.819 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि व खाता संख्या 47/52 के खसरा नम्बर 98/1 में 2.057 हैक्टेयर, 146/98 में 6.780 हैक्टेयर कुल 8.855 हैक्टेयर बारानी भूमि 1/2 हिस्सा में 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज हैं जिसमें आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं इसलिए अप्रार्थी न. 1 ता 8 की भूमि वाके रोही चकगोदारान तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 90/6 में उत्तर दिशा में 8.25 फुट चौड़ाई एवं 4.00 बीघा लम्बाई एवं रकबा राज भूमि खसरा नम्बर 90/5 में 8.25 फुट चौड़ाई एवं 5.00 बीघा लम्बाई से पूर्व दिशा की तरफ, खसरा नम्बर 90/4 में 8.25 फुट चौड़ाई एवं 4.00 बीघा लम्बाई में चालू रास्ता को स्वीकृत किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 03, 09, 10 जरिय वकील हाजिर आये। अप्रार्थी सख्या 03 ने दिनांक 07.11.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 बाधुदेवी, अप्रार्थी संख्या 5 हरकौरी, अप्रार्थी संख्या 6 बीरबलराम उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत हैं। प्रार्थी जगदीश को इनके स्वर्गवास होने की जानकारी के बावजूद मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 तथा अप्रार्थी संख्या 8 पर मनोहरी पुत्री गणेशा दो बार दर्ज कर रखा हैं। अप्रार्थी संख्या 4 व 8 पर दर्ज मनोहरी भी करीब 3 माह पूर्व फौत हो चुकी हैं जिसकी जानकारी भी प्रार्थी को होने के बावजूद इसके जायज वारिसो को पक्षकार नहीं बनाया हैं। इसलिए उक्त प्रकरण जो मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं, को इसी स्तर पर खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी जगदीश द्वारा दिनांक 18.02.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थी न. 01, 05, 06 व 08 पक्षकारान फौत होते हुए भी प्रार्थी द्वारा सहबन से रिकार्ड जमांबदी में नाम होने के कारण पक्षकार प्रार्थना पत्र बना लिये गय हैं जिनका प्रार्थी नाम तर्क करवाकर उक्त मृतक पक्षकारान के वारिसान को पक्षकार बनाना चाहता हैं जिनका विव[illegible] हुआ हैं। प्रार्थी जगदीश द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र दि[illegible]2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रा[illegible]शा का स्वर्गवास होने पर उसका नाम त[illegible]न को पक्षकार बनाया जावे।

उक्त वर्णित प्रार्थना पत्रों पर बहस [illegible]नी गई। अप्रार्थी संख्या 3 भागीरथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस म प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:01 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकरण संख्या 120 सन् 2024)

18/03/2026

को दोहराते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थी जगदीश द्वारा यह प्रकरण धारा 251क, 209 आरटीए 1955 प्रस्तुत किया है उसमें दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 बाधुदेवी, अप्रार्थी संख्या 5 हरकौरी, अप्रार्थी संख्या 6 बीरबलराम उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने से काफी समय पहले ही फौत हैं इस प्रकार प्रार्थी जगदीश द्वारा यह प्रकरण मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त प्रकरण में सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी अनुसार मृत व्यक्तियो के विरूद्ध पेश वाद आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत नहीं आता हैं तथा वाद/प्रकरण शून्य/अकृत हैं। इसलिए उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त किया जावे तथा दाखिल दफ्तर किया जावे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कानूनी नजीर RRT 2016(2) पेज 1200 प्रस्तुत की।

प्रार्थी जगदीश के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उसके द्वारा जमाबंदी में अंकन अनुसार पक्षकार बनाये थे तथा जानकारी मिलने पर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा जायज वारिसान को पक्षकार बनाने का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं उसे स्वीकार किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 बाधुदेवी, अप्रार्थी संख्या 5 हरकौरी, अप्रार्थी संख्या 6 बीरबलराम प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व ही मृतक हैं जो अभिभाषक प्रार्थी ने स्वीकार किया हैं। जिससे यह तथ्य साबित होता हैं। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RRT 2016(2) पेज 1200 अनुसार आदेश 22 नियम 4 सीपीसी वाद से पहले के मृत पक्षकार पर लागू ही नहीं होती हैं। चूंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद शूरू से ही शून्य होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण चलने योग्य नहीं प्रतीत होता हैं। इसलिए प्रार्थी जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2025 स्वीकार योग्य नहीं हैं।

अतः अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 16:33:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़